भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1638

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पोलावरम परियोजना

1638. श्री कृपानाथ मल्लाहः

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पोलावरम परियोजना से जुड़ी समय-सीमा और सुरक्षा के संबंध में विशेषज्ञों से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनके द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): सरकार ने पोलावरम सिंचाई परियोजना हेतु विशेषज्ञों के पैनल (पीओई) को नियुक्त किया है, जिसमें चार अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं जो पोलावरम सिंचाई परियोजना की सुरक्षा और पूर्णता से संबंधित तकनीकी और निर्माण प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर परामर्श प्रदान करेंगे।

विशेषज्ञों के पैनल ने पहले दौरे में दिनांक 30 जून से 3 जुलाई, 2024 के दौरान और दूसरे दौरे में दिनांक 6 नवंबर से 9 नवंबर, 2024 के दौरान परियोजना का निरीक्षण किया है। दौरों के दौरान परियोजना सुरक्षा और पूर्णता से संबंधित प्रमुख तकनीकी मुद्दों जैसे कॉफर बांधों से रिसाव, मुख्य बांध की नींव की जमीन का सुधार, नई डायाफ्राम दीवार का निर्माण और पृथ्वी-कोर रॉक फिल (ईसीआरएफ) बांध के डिजाइन के बारे में चर्चा की गई। विशेषज्ञों के पैनल द्वारा सुरक्षा और परियोजना को समय पर पूरा करने के संबंध में निम्नलिखित मुख्य कदमों की सिफारिश की गई है:

i. परीक्षण के परिणामों के आधार पर कॉफर बांधों से रिसाव के मुद्दों का निपटान करने के लिए उपचारात्मक उपाय।
ii. सुरक्षा की दृष्टि से दोनों कॉफर बांधों में बट्रेस बरम विनिर्माण।
iii. सुरक्षा के साथ विनिर्माण कार्य शुरू करने के लिए जल प्रबंधन योजना।
iv. जमीनी सुधार कार्यों में मुद्दों को हल करने की पद्धतियां।
v. नई डायाफ्राम दीवार की योजना और निर्माण पर सुझाव।
vi. गैप-1 और गैप-2 पर मुख्य बांध के डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए परीक्षण किए जाएंगे।
vii. विशेषज्ञों के पैनल द्वारा जोखिम को कम करने और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना नियोजन, निर्माण प्रबंधन और साइट संगठन संरचना पर अपनी टिप्पणियां दी गई हैं।

*****